

## आदेश

तिथि  
Sep 29 2023

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मीजा कोलाकुशमा थाना झरिया

| खाता | प्लॉट | रकबा                          |
|------|-------|-------------------------------|
| 8    | 2638  | 0 एकड़, 4.12 डिसमील, 0 हेक्टर |

का विक्रेता

| विक्रेता का नाम         | रिश्ता | अभिभावक का नाम                 |
|-------------------------|--------|--------------------------------|
| KALI PADA CHOUDHARY     | पिता   | LATE MATHURA NATH CHOUDHARY    |
| SHISHIR KUMAR CHOUDHARY | पिता   | LATE NARAYAN CHANDRA CHOUDHARY |
| SUNIL KUMAR CHAUDHARY   | पिता   | LATE NARAYAN CHANDRA CHAUDHARY |
| TAPAN CHANDRA CHOUDHARY | पिता   | LATE MATHURA NATH CHOUDHARY    |

है जिन्होंने निबंधित विक्री, विक्री-केवाला संख्या 2023/DHAN/5403/BK1/4913 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को विक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

| रैयत का नाम   | रिश्ता | अभिभावक का नाम    |
|---------------|--------|-------------------|
| सुनील चौधरी   | पिता   | स्व० नारायण चौधरी |
| आदित्या चौधरी | पिता   | स्व० मथुरा चौधरी  |
| तपन चौधरी     | पिता   | स्व० मथुरा चौधरी  |
| कलिपाद चौधरी  | पिता   | स्व० मथुरा चौधरी  |
| शिशिर चौधरी   | पिता   | स्व० नारायण चौधरी |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 15 रु०

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद

